भारतीय महिलाओं के संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार

जमशेद आलम

संवैधानिक अधिकार : संविधान के अनुच्छेद 14 में स्त्री–पुरूष के बीच में भेदभाव समाप्त करने और महिलाओं को समाज में बराबर का हक दिलाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 15(3) में राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट दी गई है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को भी पुरूषों के बराबर अवसर दिलाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 39 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह स्त्रियों और पुरूषों को आजीविका के समान साधन तथा समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 51 (ई0) में प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौंपा है कि वह महिलाओं की मान मर्यादा को कम करने वाला कोई कार्य नहीं करें। अनुच्छेद 42 में कार्य की न्यायोचित एवं मानवीय दशाएँ तथा प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। इन संवैधानिक उपबन्धों के अलावा भी भारत सरकार ने पिछले दो दशकों में कई ऐसे कानून बनाए हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को पुरूषों के बराबर लाने का प्रयास किया गया है। कानूनी अधिकार : सामाजिक अधिकारः महिलाओं के सामाजिक अधिकारों से सम्बन्धित चार प्रमुख मामले–विवाह, गोद लेना, संरक्षकता, भरण पोषण एवं गर्भपात शामिल हैं। विवाह सम्बन्धी विधान विशेष रूप से विवाह की आयु, पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, दहेज, विवाह का स्वरूप तथा जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता से सम्बद्ध हैं।